Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 5.983 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 2 | FEBRUARY 2025

भारत में श्रम एवं श्रमिकों प्रति भारतीय दृष्टिकोण

राजेश [1]

[1] **(शोधार्थी), समाजशास्त्र, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर**

ABSTRACT:

वैदिक परम्पराओ के आधार पर ज्ञात होता है कि भारत मे श्रम ऐसा रहा है जैसे शरीर मे प्राण रहे हो भारत से यदि श्रम को निकाल दिया जाये तो होगी जैसे शरीर निसःप्राण हो गये हो ओर निसःप्राण शरीर का विकास संभव नहीं होता तो मानव समाज का विकास बिना श्रम के संभव नहीं है अतःश्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग माना गया है आत्मा के रूप में जैसे एक स्वस्थ और जिंदा मनुष्य अपने जीवन को जीता है। वर्तमान समाज का श्रम आत्मा रूप है।

वैदिक काल में भारत में श्रम का प्रभाव देखने को मिलता है प्राचीन काल मे श्रम के रूप मे रूप में श्रमिक का विकास हुआ श्रम को सर्वाधिक पवित्र माना गया। श्रम को मानव जीवन में पुजा योग्य माना गया हैं श्रम की पुजा की जाती थी धीरे-धीरे सामाजिक परिर्वतन होता गया श्रम की धारणा भी बदल गई वर्तमान परिपे्रक्ष्य के अनुसार श्रम पुजा योग्य नहीं होकर वस्तु का रूप हो गया हैऔर श्रमिक उपयोग की वस्तु बनकर रह गयी ऐतिहासिक धारणा के अनुसार से पता चलता है कि श्रम ने समाज मे इतना अधिक परिर्वतन ला दिया है कि सम्पुर्ण समाज का स्वरूप ही बदल गया जो समाज समाजवाद की धारणा पर चल रहा था वर्तमान मे वह पुंजीवाद की शक्ल ले चुका है संस्तरण की व्यवस्था सर्वाधिक प्रभावी हो चुकी है।

KEYWORDS:

श्रम का अर्थ, श्रम के प्रकार, श्रम की महत्ता, भारत में श्रमिको के प्रति दृष्टिकोण, सरकार के प्रयास.

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
25th February 2025	28th February 2025

विषय उपस्थापन

वर्तमान काल मे श्रम और श्रमिको के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का स्वरूप बदल चुका हैं

भारत में श्रम व श्रमिकों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण:-

जब तक जीवन है श्रम है श्रम का सृजन और विकास था, है, और रहेगा

पल बदलेगा कल बदलेगा,

और जीवन का पटल बदलेगा।

बिना श्रम के ना होगा ये संभव,

श्रम से ही जीवन का हल बदलेगा।।

यह एक ऐसा विषम विषय है जिसकी हमेशा उपेक्षा की गई है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में यह अपनी अलग ही महत्ता रखता है। परन्तु इसकी वास्तविकता का ऐसा छिद्रांन्वेषण किया गया है। यह एक वस्तु बनकर रह गया है जिसे आवश्यकता के लिए काम में लिया जाता है और जब मन करता है इतर कर दिया जाता है। भारत के विकास में अगर श्रम को निकाल दिया जाऐ तो ये अपने आप में प्राणहीन ढांचे के सिवाए कुछ नहीं है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है मेरा आज का विषय श्रम की वास्तविकता को पटल पर रखना और भारतीय दृष्टिकोण का समावेश है वैदों में पुराणों, प्राचीन साहित्य ग्रन्थों में श्रम को देव तुल्य पुजनीय माना गया है परन्तु भारत में जहां देखा गया इस श्रम की वास्तविक कीमत/मूल्य का कोई निर्धारण नहीं है। आज श्रम दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है एक शारीरिक और दुसरा मानसिक। मानसिक ने शारीरिक पर अपना आधिपत्य स्थापति कर रखा है शारीरिक श्रम अधिक होने पर भी मानसिक श्रम की मूल्य व्यवस्था अधिक है। इसी का परिणाम है कि हम श्रम विभाजन के रूप में माक्र्स की आवधारणा का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है और भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिकों के प्रति होने वाले इसहेय दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप भारत आधुनिकता की अंधी होड़ में वर्ग व्यवस्था का निर्धारण करता जा रहा है जो भारत संविधान निर्माण के समय समानता की बात करता था समाजवाद का निर्माण चाहता था पूंजीवादी धारणा से ग्रस्त हो चला है और उपनिवेशवाद की ऐसी दौड में हिस्सेदार बन चुका है जहां विजय संभव नहीं है परन्तु दौड़ना जरूरी मानता है आज का मेरा विषय यही है श्रम व्यवस्था का रूप और श्रमिकों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा?

श्रम का अर्थ/परिभाषा:-

श्रम का सामान्य अर्थ है वह शारीरिक और मानसिक कार्य जोआय प्राप्त करने के लिए किया जाता है यह केवल आंनद प्राप्ति का साधन नहीं होता है।

- **प्रो.मार्शल:-**

मन या शरीर की किसी भी तरह की थकावट आंशिक रूप से या पुरी तरह से काम से प्राप्त खुशी के अलावा कुछ और अच्छी कमाई करने के दृष्टिकोण से पुरी होती है''।

- **एस.ई. थॉमस:-**

श्रम शरीर के सभी मानवीय प्रयासों को दर्शाता है जो कि इनाम की उम्मीद में किये जाते है''।

श्रम की महत्ता / उपयोगिता/विशेषता/उपयुक्ता:-

1. श्रम को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है जब तक संसार चलेगा श्रम निरंतर देखने को मिलेगा यह संसार के विकास का सावयवी रूप है।

2. श्रम में गतिशीलता का भाव पाया जाता है श्रम को गतिविहीन कहने का मतलब है संसार की नब्ज को बंद कर देना श्रम संसार की जीवनदायनी शक्ति है।

3. श्रम को मानव जीवन की उत्पति का आधार माना गया है।

4. अपनी योग्यता के आधार पर कार्यकुशलता में परिवर्तन कर श्रम को बढाया या कम किया जा सकता है।

5. श्रम का अर्थ मानवीय प्रयास से लिया गया है अतः श्रमिको से इनका घनिष्ट संबंध माना गया है ये दोनों एक दुसरे के पूरक है इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है।

6. श्रम का मूल्य होता है अतः इसे बेचा जा सकता है।

7. श्रम नाशवान है इसे कभी भी इकट्ठा नही किया जा सकता है।

8. श्रम में संधिबाजी करने की शक्ति बहुत कम होती है।

9. श्रम उत्पादन का साधन ही नही साध्य होता है।

10. श्रम एक मानवीय साधन है।

श्रम का विभाजन / वर्गीकरण :-

1. रोजगार और बेराजगार:-

इसका अभिप्राय है श्रम का स्तर रोजगार उपलब्ध करवाता है जैसे किसी व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति कार्य करते हुऐ धन प्राप्त करता है। और श्रम के अभाव मे रोजगार का स्थान बेरोजगार व्यवस्था ले लेती है अतः बेरोजगार व्यवस्था रूप निर्धारण में श्रम का अत्यंत महत्व देखने को मिलता है।

2. प्रवासी और अप्रवासी:-

भारतीय समाज में जनाधिम्य व जनन्यून की स्थिति का निर्धारण करने में प्रवास, अप्रवास व उत्प्रवास व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है बहुत से व्यक्ति भारत में रहते हुए अपने अधिवास से प्रवास करते है का मुख्य कारण श्रम ही रहा है। इसी आधार पर श्रम प्रवासी व अप्रवासी कहलाता है।

3. संगठित और असंगठित श्रम:-

संगठित और असंगठित श्रम का विभाजन काम के आधार पर किया गया है श्रमिको को संगठित श्रम के रूप में रोजगार की गारंटी प्राप्त होती है सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है इसके विपरित असंगठित श्रम असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है जहां सामाजिक सुरक्षा व गारंटी का अभाव देखने को मिलता है।

4. कुशल और अकुशल श्रम:-

कुशल श्रम वह है जिसमें कार्य करने में विशेष ज्ञान, सीखने, प्रशिक्षण व दक्षता की जरूरत होती अकुशल श्रम में विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।

5. उत्पादक और अनुत्पादक श्रम:-

आर्थिक अर्थ में सभी श्रम उत्पादक है उस श्रम को अनुत्पादक माना जाता है जो असामाजिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जैसे चोरी, डकैती,लुटपाट इत्यादि।

6. शारीरिक और मानसिक श्रम:-

श्रम सामान्यतः दो रूपों में महत्वपूर्ण होता है परन्तु मानसिक श्रम वर्तमान परिप्रेक्षय में शारीरिक श्रम पर अधिष्ठित माना गया है शारीरिक श्रम की महता को मानसिक श्रम ने लगभग क्षीण कर दिया है।

भारतीय समाज के व्यवस्था में श्रम का ढांचा- भारतीय समाज में प्रचलित व्यवसाय को देखा जाए तो श्रम की ढांचागत व्यवस्था का स्वरूप काफी व्यापक रूप में है यहां एक कामगार व्यक्ति पर काफी व्यक्ति अधिरोपित होते है काम के एवज में श्रम की मजदूरी न्यून देखी जा सकती है श्रम को व्यवसाय के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है एक श्रम का अधिकारी वर्ग होता है और एक श्रम का कामगार वर्ग होता है भारतीय समाज में श्रम का अधिकारी वग श्रम के मूल्य को श्रम के कामगारों से अधिक प्राप्त करता है इस आधार पर हम कह सकते है कि भारतीय समाज का व्यवसाय में श्रम का ढांचा उसी प्रकार दृष्टिगोचर होता है जैसे '' हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते है'' यह व्यवसाय में ढांचागत स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है इसी कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी का स्वरूप अधिक देखने को मिलता है। कृषि, उद्योग के क्षेत्र में श्रम की ढांचागत व्यवस्था शोषण का रूप लिये हुऐ प्रतीत होती है यह व्यवस्था माक्र्स के ऐतहासिक द्वन्द्ववाद की अवधारणा का पुर्णतः समर्थन करती है।

भारत में श्रमिको के प्रति भारतीय दृष्टिकोण:-

प्राचीन काल में भारत में श्रमिकों के प्रति विचारधार एक दास प्रथा के रूप में थी श्रमिकों को उपभोग की वस्तु के रूप में समझा जाता था उसे हेय की दृष्टि से देखा जाता था इसके समस्त अधिकारो का हनन किया जाता था उसे स्वंय के जीवन को जीने के संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार नहीं था वह हमेशा दुसरों पर आश्रित जीवन ही व्यतीत करता था। परन्तु समय के परिवर्तन के आधार पर समाज में परिवर्तन का दौर देखने को मिला। अनेक बौद्धिक विचारको ने अपने विचारों के आधार पर श्रम की अवधारणा को वर्तमान मे बदल कर रख दिया। अनेक समाज सुधारको ने जागरूक कार्यक्रम के आधार पर अपने लेख व पत्रिकाओ के आधार पर समय समय पर महत्वपूर्ण व्यवस्था से अवगत करवाते हुए समाज मे उनकी महत्ता को प्रदर्शित किया।

धीरे-धीरे भारतीय समाज में नियोजित शासन व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। भारत सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गये, ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया जो भारतीय श्रमिको के हित को ध्यान में रखकर चलते है अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संगठन भी भारत की इस व्यवस्था मे हस्तक्षेप करने लग गये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एण्ण्व्ण् जैसे संगठन की स्थापना की श्रमिकों को उच्चतम स्तर प्रदान करने हेतु प्रतिवष्ज्ञ 1मई को श्रमिक दिवस के रूप मे मनाना शुरू किया गया है।

भारतीय सरकार ने वर्तमान श्रमिको की निर्धारित मजदूरी हेतु संवैधानिक प्रावधान लागू किये जिसके आधार पर इनको इनके श्रम के आधार पर मजदूरी प्राप्त हो सके। श्रमिको को श्रम मिले इस हेतु रोजगार गांरटी अधिनियम पारित किया गया। मनरेगा जैसे राष्ट्रव्यापी रोजगार कार्यक्रम की स्थापना की गई।

श्रमिकों को कुशलता के आधार पर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रेणी में वर्गीकृत कर इनकी एक निर्धारित मजदूरी तय की गई इस हेतु कानूनी अधिकार प्रदन किया गया।

भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु नियोजित विकास कार्यक्रम

भारत सरकार देश की बदलती अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के महत्व को स्वीकारती हैं इसलिए वह इनके कल्याण को अपना नैतिक दायित्व समझती है इसी आधार पर उसके द्वारा इनके विकास एवं कल्याण हेतु विभिन्न निकायों की स्थापना की गई तथा समय-समय पर अनेक प्रतिवेदन भी दिये जा रहे है इनकी सेवार्थ हेतु विभिन्न क्रार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा हैं।

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की तर्ज पर भारत सरकार भी श्रमिकों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर कार्य कर रही हैं जो निम्न रूवरूपों में हैं।

(1) इनको आवासीय सुविधाए प्रदान करना।

(2) इनके स्थामीत्व का निर्धारित करना।

(3) प्रवासी स्वरूप में परिवर्तन करते हुऐ अधिवास निर्धारित करना।

(4) कार्यकुशलता के स्तर को बढाना।

(5) श्रम संघ को महत्व देना ताकि इनके मांगो को समझा जा सके।

(6) राजनैतिक दशाओं को इनके जीवन में पृथक करना।

(7) श्रमिकों के बीच विभिन्नताओं की खाई को भरना।

(8) आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

(9) राष्ट्रीय एकता का विकास करना।

भारत सरकार द्वारा इनके कल्याण हेतु कार्यक्रम

- कारखाना अधिनियम - 1948
- सार्वजनिक उपक्रम श्रम-कल्याण कोष अधिनियम-1946
- कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष-1947
- अभ्रक खान श्रमिक कल्याण अधिनियम,1946
- बणान श्रम अधिनियम,1951
- बदंरगाह श्रमिक योजना, 1961
- श्रमिक शिक्षा योजना।

निष्कर्ष:-

अनुसधान रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि श्रम वैदिक परम्परा से आरम्भ होकर आज के युग तक आ चुका है। इसने अपने जीवन के इस चरण में बहुत से परिवर्तनों को अंगीकार किया है। दासत्व से मूल्य को धारण किया है। भारत में श्रमिकों के प्रति वर्तमान परिपे्रक्ष्य के आधार रूप में श्रम का परिवर्तन देखने को मिलता है। श्रमिक अब केवल मात्र उपभोग की वस्तु न होकर एक साधन बन चुका है जो समाज के विकास का अहम अंग है।

भारत सरकार भी इसके विकास हेतु निरतंर प्रयासरत है तथा समय-समय पर इनकी रक्षार्थ हेतु विभिन्न निकायों एवं कानूनों का निर्माण कर रही है भारत में श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण प्राचीन परम्परा से ऊपर उठ कर आधुनिकता को ग्रहण कर चुका हैं।

REFERENCES

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

2. भारत कौशल रिपोर्ट-2017

3. **NSSO (Report) "Status of Education and Vocational Training in India ministry of Statisfics and programme Implementation Government of India**

4. पांचवे वार्षिक रोजगार और बेराजगारी सर्वेक्षण (2015-16) पर रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो वोल्यूम

5. बालेश्वर पाण्डेयः कल्याण और औद्योगिक सम्बन्ध 2014 रावत पब्लिकेशन।

6. **http://www.oecd.org**

7. **http://dget.nic.in**

8. **http://planningcommission.gov.in**

9. **http://nrdcindia.org**